(315) निग0 6006/2018/रीवा/भू-रा0 (191)

न्यायालय म0प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक- दिनांक-

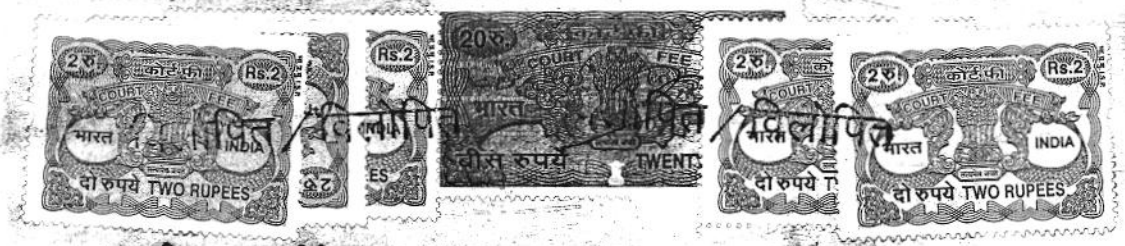

नरहरि प्रताप सिंह तनय सनत कुमार सिंह उम्र 70 वर्ष पेसा खेती ग्राम छछिहाई गनिगवां पो0 देवतालाब जिला रीवा (म0प्र0)

------------ आवेदक

अधि0 श्री एन. पी. सिंह द्वारा पेश। 29.9.18

बनाम

1- राशिरमन तनय बृजनन्दन पटेल ।

2- रामाश्रय तनय श्याम शरण पटेल ।

3- बिनोद)
4- राजकुमार) तनय पूरन लाल पटेल ।
5- अवधेश)
6- इन्द्रमणि)

7- बद्री प्रसाद) तनय श्यामलाल पटेल ।
8- मनमोहन)

9- सन्तोष) तनय मोतीलाल पटेल ।
10- अशोक)

11- मौसम)
12- बीरेन्द्र) तनय द्वारिका प्रसाद ।
13- हीरालाल)

14- बुद्धसेन) तनय अंगद पटेल ।
15- बृजभान)

16- रामनरेश तनय रामदुलारे पटेल । - सभी निवासी ग्राम बन्नई तहसील नईगढी जिला रीवा (म0प्र0)

------------अनावेदकगण,

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

प्रकरण पुनरीक्षण -

धारा -50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 ई0

विरूद्ध आदेश न्यायालय अपर आयुक्त महोदय,

आयुक्त -सम्भाग, रीवा, रीवा (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक- 810/अपील/2010-011 आदेश

दिनांक -04-07-2018,

नोट- आदेशित प्रकरण नरहरि प्रताप बनाम राशि रमण है।

मान्यवर,

निवेदन है कि याचिका के आधार निम्न है :--

1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा सम्भाग रीवा तथा अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मउगंज जिला रीवा को ग्राम न्यायालय इटहा कला जिला रीवा के निर्णय के विरूद्ध आदेश देने की अधिकारिता नही हैं। यह म0प्र0 ग्राम न्यायालय अधिनियम 1996 की धारा 16 तथा 31 के अनुसार हैं। जहां ग्राम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है, तथा आदेश अन्तिम हैं।

2- यह कि ग्राम न्यायालय के अधिकारिता सम्बंधी त्रुटि मात्र पर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनरीक्षण हो सकता है, लेकिन मूल प्रकरण में ऐसी कोई भी त्रुटि नही है, इस कारण के आधार पर धारा 16 ग्राम न्यायालय की अधिकारिता के अन्तर्गत हैं।

3- यह कि ग्राम न्यायालय पंचो का न्यायालय रहा है, तथा इसमें वकील द्वारा कार्य करने का प्रावधान नही रहा।

4- ग्राम न्यायालय ने अनावेदकों के विरूद्ध धारा 250 म0प्र0 भू-रा0सं0 1959 के अनुसार निर्णय दिया है, तब वे उन्हे दखलयाबी के लिये अनावेदकगण को व्यवहार न्यायालय में जाना चाहिए लेकिन उनने ऐसा नही किया।

5- यह कि विवादित भूमियां पालट की थीं, जिसमें अनावेदकगणों ने आवेदक की भूमि का नामान्तरण आवेदक को बिना सूचना दिये पटवारी द्वारा करा लिया गया था, लेकिन जब जानकारी हुई तब न्यायालय में आवेदक

(191)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

क्रमांक निग0 6006/2018/भू.रा0 जिला— रीवा

नरहरि प्रताप सिंह विरूद्ध रामशिरमन पटेल

(1)	(2)	(3)
16.1.19	1. आवेदक की ओर से श्री एन. पी. सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~कमिश्नर~~/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 810/अपील/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 04.07.18 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 29.09.18 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य	

नईगढ़ी जिला रीवा (म0प्र0)

------------अनावेदकगण,